



थाना क्षेत्र महाराजपुर में 29-06-24 की रात्रि को हुई डकैती की घटना के 03 अभियुक्तों को अपराध शाखा की स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना महाराजपुर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कब्जे से माल किया बरामद

दिनांक 29.06.2024 की रात्रि आईटीबीपी की बगल से निर्माणाधीन शोरूम के बगल से सरिया डकैती/लूट के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र शिवकरन सिंह निवासी 105ए/2ई गांधीग्राम रामादेवी थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर मो0नं0 9450424810 द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0239/24 धारा 395/323/342 भादवि बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर व श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन में श्रीमान पुलिस उपायुक्त अपराध व श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय पूर्वी व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी महोदय व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त अपराध महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक महाराजपुर द्वारा थाना स्तर पर अपराध एवम् अपराधियों के रोकथाम हेतु टीमों का गठन किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया तथा घटना के सफल अनावरण करने पर श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवम् व्यवस्था) द्वारा 50,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया है। जिसके अनुक्रम में दिनांक 06.07.2024 को थाना महाराजपुर की पुलिस टीम व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पीएसी मोड श्याम नगर में छप्पन भोग चौराहे के पास से एक अभियुक्त महताब हुसैन उर्फ राजू पुत्र अख्तर हुसैन निवासी युसुफपुर कटरा थाना युसुफपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश हालपता चिश्ती नगर सनिगंवा रोड कादरी मस्जिद के पास थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 44 वर्ष को मय डीसीएम नं0 UP77N6811 के समय करीब 21.15 बजे पकड़ लिया गया जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 29/30.06.2024 की रात्रि में व विजय प्रकाश साहू पुत्र गणेश प्रसाद निवासी खदरी थाना रानीगंज कैथोला जनपद प्रतापगढ हाल पता 85/120 लक्ष्मीपुरवा रायपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर व कुलदीप वर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम सकरा थाना किदवई नगर कानपुर नगर तथा सलीम निवासी फेथफुलगंज थाना रेलबाजार व सलीम के साथी पहलवान व खुतरा के साथ मिलकर विजय प्रकाश साहू की डीसीएम नं0 UP77N6811 सहित हमलोग सरसौल से पहले नवीन शोरूम के निर्माणाधीन भवन में रखी हुई काफी मात्रा में सरिया गार्ड को डरा धमका कर लूट ली थी। डीसीएम में चलाकर लाया था। अभियुक्त महताब हुसैन उर्फ राजू की निशादेही पर अभियुक्तगण विजय प्रकाश साहू पुत्र गणेश प्रसाद साहू निवासी खदरी थाना रानीगंज कैथोला जनपद प्रतापगढ हाल पता 85/120 लक्ष्मीपुरवा रायपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष व कुलदीप वर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम सकरा पुर थाना विधनू कानपुर नगर को समय 23.40 बजे गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्तों की निशादेही पर लूटी गई सरिया को पीएसी मोड श्याम वाटिका श्याम नगर कानपुर नगर से बरामद किया गया तथा और जानकारी की गई तो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि अपने साथी सलीम व सलीम के साथी पहलवान तथा खुतरा आदि के साथ मिलकर दिनांक 22/23.05.2024 की रात्रि में खजुहा बकेबर मार्ग थाना क्षेत्र बिन्दकी जनपद फतेहपुर में निर्माणाधीन गेस्ट से काफी मात्रा में सरिया व 2 मोबाइल भी लूटे थे।

जनपद फतेहपुर की लूटी सरिया को बेंच दिया था जो पैसे मिले से आपस में बांट लिए थे हम तीनों के पास से जो 32000/- रुपये बरामद हुए हैं यह वही रुपये हैं। जानकारी की गई तो इस घटना के संबंध में थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर पर मु0अ0सं0 137/2024 धारा 395/397 भादवि पंजीकृत है। इस सम्बन्ध में प्र0नि0 बिन्दकी को अवगत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -.

01. महताब हुसैन उर्फ राजू पुत्र अख्तर हुसैन निवासी युसुफपुर कटरा थाना युसुफपुर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश हालपता चिश्ती नगर सनिगंवा रोड कादरी मस्जिद के पास थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 44 वर्ष
02. विजय प्रकाश साहू पुत्र गणेश प्रसाद साहू निवासी खदरी थाना रानीगंज कैथोला जनपद प्रतापगढ़ हाल पता 85/120 लक्ष्मीपुरवा रायपुरवा थाना रायपुरवा कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष
03. कुलदीप वर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र निवासी ग्राम सकरा पुर थाना विधनू कानपुर नगर

आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त महताब हुसैन उर्फ राजू -

01. मु0अ0सं0 189/13 धारा 380/411/414/120बी भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
02. मु0अ0सं0 239/24 धारा 395/342/412 भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
03. मु0अ0सं0 137/24 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर

अभियुक्त विजय प्रकाश साहू -

01. मु0अ0सं0 189/13 धारा 380/411/414/120बी भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
02. मु0अ0सं0 239/24 धारा 395/342/412 भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
03. मु0अ0सं0 137/24 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर

अभियुक्त कुलदीप वर्मा -

01. मु0अ0सं0 239/24 धारा 395/342/412 भादवि थाना महाराजपुर कानपुर नगर
02. मु0अ0सं0 137/24 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिन्दकी जिला फतेहपुर
03. मु0अ0सं0 108/17 धारा 395/412 भादवि थाना सजेती जिला कानपुर नगर
04. मु0अ0सं0 0001/18 धारा 2/3 गैग्रेस्टर एक्ट थाना थाना सजेती जिला कानपुर नगर

बरामद माल -

01. डीसीएम नं0 UP 77 N 6811
02. 40 कुंतल सरिया
03. 32000/- रुपये मु0अ0सं0 137/2024 धारा 395/397/412 भादवि थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित
04. अभियुक्तगणों के कब्जे से एक-एक मोबाइल फोन

गिरफ्तारी करने वाली स्वाट/सर्विलांस टीम

01. निरीक्षक श्री जनार्दन यादव
02. उ0नि0 श्री मनीष कुमार
03. उ0नि0 श्री राहुल कुमार
04. उ0नि0 श्री मंजीत सिंह
05. हे0का0 प्रदीप कुमार
06. हे0का0 देवी सिंह
07. हे0का0 शैलेन्द्र सिंह
08. हे0का0 शहबाज खान
09. हे0का0 शहबाज खान
10. हे0का0 रामजस
11. का0 रोहित कुमार
12. का0 चयन जादौन
13. का0 सत्यवीर अवाना

गिरफ्तार करने वाली थाना महाराजपुर पुलिस की टीम-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार पाण्डेय
02. उ0नि0 श्री पवन कुमार मिश्रा
03. उ0नि0 श्री अमित यादव
04. उ0नि0 श्री नितिन मलिक
05. उ0नि0 यूटी श्री सुशांत पाण्डेय
06. म0उ0नि0 यूटी शिक्षा भारती
07. का0 341 नवीन
08. का0 2151 रोहित